कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांकः– एफ–6 (   ) आ.राज. (सा.प्र.)/जननि/2011/ 724   दिनांकः– 02/02/2011

नीलामी सूचना

जयपुर नगर निगम सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन एवं संधारण एवं बी.ओ.टी आधार पर पुलिस बेरीकेट (अवरोधक) पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स नीलामी द्वारा लाल कोठी मुख्यालय में किया जायेगा। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

नीलामी दिनांक **18.02.2011** को प्रातः 11:00 बजें से सांय 5.00 बजे तक की जावेगी।

क्र. स.	जोन का नाम	दिनांक	अमानता
1.	बी.ओ.टी आधार पर पुलिस बैरीकेट्स (अवरोधक) पर विज्ञापन एवं निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन व संधारण हेतु।	18.02.2011	बी.ओ.टी. आधार पर पुलिस बैरीकेट्स (अवरोध) संख्या–1000 पर विज्ञापन करने की अमानता राशि 1,00,000/– रू. (एक लाख रू.) निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन एवं संधारण हेतु अमानता राशि 20,000/– रू. (बीस हजार रू.) प्रति निर्मित शौचालय

नीलामी की प्रमुख शर्तें :–

1. उपरोक्त निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन एवं संधारण का लाईसेन्स जारी अवधि से (एक वर्ष तथा दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए नीलाम किये जावेंगे।
2. बी.ओ.टी. के आधार पर निर्मित होने वाले पुलिस बेरीकेट (अवरोधक) की बी.ओ.टी. अवधी 3 वर्ष होगी।
3. इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व शर्तों के अनुसार अमानता राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट से नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन एवं संधारण की नीलामी एकसाथ की जावेगी एवं बी.ओ.टी आधार पर पुलिस बेरीकेट (अवरोधक) की नीलामी एकसाथ की जावेगी।
4. उच्चतम बोलीदाता फर्म को नीलामी की चौथाई राशि (1/4) तुरन्त मौके पर जमा करानी होगी।
5. किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा।
6. निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन एवं संधारण एवं बी.ओ.टी. आधार पर पुलिस बेरीकेट (अवरोधक) की संख्या में कमी या बढोत्तरी की जा सकेगी।
7. नीलामी की अन्य शर्तें एवं निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन एवं संधारण, पुलिस बेरीकेट (अवरोधक) की शर्तो की जानकारी राजस्व अधिकारी (होर्डिंग्स), निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर SW-205 में कार्यदिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट निगम मुख्यालय पर भी देखी जा सकती है।
8. नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है। एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे।
9. नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा।

आयुक्त (राजस्व)
जयपुर नगर निगम

प्रतिलिपि :–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर नगर निगम को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में छपवाने की व्यवस्था करें ।
2. प्रोग्रामर, जयपुर नगर निगम को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावे।

आयुक्त (राजस्व)
जयपुर नगर निगम